

2019/00070

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
81/19	188 RTA	राहोली	इकडा
वादी A081/2019		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
वम्पलाल		बनाम	हीरालाल

वकील :- वृजभूषण शर्मा एडवो. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
20/8/19	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 18/9/19 को पेश हो।	21/10 26/11
18/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील श्री श्री उपस्थित। प्रतिवादी गणों के सम्मन तलव अग्ररत। वास्तु इंतजार सम्मन पत्रावली दिनांक 21/10/19 को पेश हो।	
21/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील श्री श्री उपस्थित। प्रतिवादी गणों को पत्रावली के माध्यम से सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 26/11/19 को पेश हो।	
26/11/19	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 6.01.20 को पेश हो।	
6/01/20	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4.2.20 को पेश हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

18<sup>05</sup>/<sub>22</sub>

परीक्षणीय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 05/07/22 को पेश हो।

सीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

5.7/22

पत्रीवली पेश हुई। वहुलाए परीक्षण अनुसूचित।  
तीन बार आवाज पुकार गई गई। कोई उपस्थित नहीं  
प्रकरण भद्रा डापरी भद्रा पैरवी स्वरित किया  
जाता है। कस्ते पत्रीवली निदेशाल शुभार हो  
दाखिल यत्तर हो।